

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**  
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

---

सं० 37] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 1984/माघ 11, 1905  
No. 37] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 1984/MAGHA 11, 1905

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

---

**श्रम और पुर्नवास मंत्रालय**

(श्रम विभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1984

का. आ. 47(अ) :- भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2) दिनांक 9 अगस्त, 1980 के पृष्ठ 2817 पर प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय को आदेश संख्या का. आ. 2213, तारीख 26-7-1980 तथा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), दिनांक 3-8-1982 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 553(अ), दिनांक 3-8-1982 द्वारा गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री आर. डी. तुलपुले को उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, बम्बई का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या एल-12011/2/80-डी-2 (ए.)]

वी. एस. एलावादी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1984

S.O. 47(E).—Whereas a vacancy has occurred in the office of presiding Officer of the National Industrial Tribunal, Bombay constituted by the Order of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2213 dated 26-7-1980 published at page 2817 of part II section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 9th August, 1980 and notification No. S.O. 553(E) dated 3-8-1982 published in the Gazette of India Extraordinary, part II, section 3(ii) dated 3-8-1982.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri R. D. Tulpule as the Presiding Officer of the said National Industrial Tribunal, Bombay.

[No. L-12011/2/80-D-II(A)]  
V. S. AILAWADI, Jt. Secy.